राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प 13(1)साप्र/2/15 जयपुर, दिनांक : 18-02-2022

परिपत्र

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष, जयपुर

विषयः– राजकीय आवास हेतु आवेदन एवं आवंटन की प्रकिया को ऑनलाइन करने बाबत्।

सदर्भः– इस विभाग के परिपत्र दिनांक 18.02.2021 व दिनांक 25.06.2021 के क्रम में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के क्रम में निवेदन है कि कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन एवं राजकीय आवास आवंटन में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस सबंध में राजकीय आवास आवंटन हेतु जिन अधिकारियो/कर्मचारियों ने सामान्य प्रशांसन (ग्रुप–2) विभाग में आवेदन किया हुआ हैं, उन्हे पुन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 18.02.2021 से 1 माह तथा पुनः दिनांक 01.07.2021 से 1 माह का समय दिया गया था।

इसी क्रम में राजकीय आवास के इच्छुक पूर्व आवेदकों जिन्होने 30.06.2021 तक ऑफलाईन आवेदन किया हुआ है, को पुन आवेदन करने हेतु दिनांक 20.02.2022 से दिनांक 31.03.2022 तक का समय ओर प्रदान किया जाता है। इच्छुक अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा स्वयं की SSO ID के माध्यम से पूर्व वरीयता दर्ज करते हुए निम्नाकिंत प्रक्रिया द्वारा पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैः–

sso id → RajKaj → Employee corner → Accommodation → Reapply for accommodation → Form Filling → Submit

पूर्व आवेदकों द्वारा पुनः ऑनलाईन आवेदन नही करनें की स्थिति में आवेदक को आवास आवंटन का इच्छुक न मानते हुए उसकी वरीयता को समाप्त करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

कृपया सभी अधिकारियो व कर्मचारी को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।

(शैली किशनानी)
विशिष्ठ शासन सचिव

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांकः–स्थापना/सैटअप/सामान्य/3468-517 दिनांक :- 18-4-2022

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. समस्त प्रभारी केन्द्रीय/जिला/म.ब.सु. राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब शाखा महानिदेशालय कारागार जयपुर को उक्त आदेशो की प्रति विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संस्थापन शाखा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय/भवन शाखा, महानिदेशालय कारागार जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. रक्षक पत्रावली।

18/4/22

(यू.एल. छानवाल)
महानिरीक्षक पुलिस कारागार
राजस्थान, जयपुर